न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 45/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00362

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
लालाराम पुत्र हरजा जाति देवासी, निवासी–घेनड़ी, तहसील रानी जिला पाली (राज.)		सरकार जरिये उप तहसीलदार खिवाड़ा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे एवं मो. आमीन खान

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.12.2020

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 98/2020 सरकार बनाम लालाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का घेनड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 598 रकबा 00.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी भूमि पर बाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 98/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2020 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलाण्ट मातहत अदालत में दिनांक 08.10.2020 को पेश हुआ तथा अतिक्रमण हटाने बाबत समय चाहा। इसके बावजूद रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 12.10.2020 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए, एकतरफा निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा दिया है, जो मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.12.2020 को यानि गिरफ्तार करने पुलिस उसके घर आई तब वह मजदूरी करने गया हुआ था, शाम को घर आने पर घरवालों से पता चलने पर दिनांक 16.12.2020 को जैर अपील आदेश की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने अपीलाण्ट स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि दिनांक 15.12.2020 पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, इस कारण उसे जैर अपील आदेश की जानकारी नहीं हुई। अतः न्याय की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्ट का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 598 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर, पटवारी हल्का घेनड़ी द्वारा उसे मौतबिरानों की उपस्थिति में भौतिक रूप से बेदखल किया था। जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से होती है। उसी आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः संवत् 2077 में अतिक्रमण किए जाने से उप तहसीलदार खिवाड़ा ने पटवारी हल्का घेनड़ी की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण संख्या 98/2020 दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर दिनांक 08.10.2020 को अपीलाण्ट ने मातहत अदालत में उपस्थित होकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा कब्जा हटाने बाबत समय चाहा। इसके पश्चात दिनांक 12.10.2020 को अपीलाण्ट न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके द्वारा किया गया अतिचार, जो पश्चातवृती अतिचार की श्रेणी में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/— रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से कब्जा हटा दिया है, जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.12.2020 से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का वर्तमान में जैर अपील आराजी पर कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट एक ग्रामीण एवं पशुपालक व्यक्ति होने के कारण इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कारावास के आदेश को अपास्त किया जाता है। मातहत अदालत द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपीलाण्ट को आदेशित किया जाता है कि वह 15 दिवस की अवधि में उप तहसीलदार खिवाड़ा के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह भविष्य में अतिक्रमित आराजी या अन्य किसी प्रकार की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि अपीलाण्ट निर्धारित अवधि में उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह निर्णय स्वतः बहाल समझा जावेगा। उप तहसीलदार खिवाड़ा को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली